न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-130/2007

1- तेजा--मृत--

1/1- रामलाल पुत्र)
1/2- रामचन्द्र पुत्र) स्व0 तेजा जाति जाट निवासीगण थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
1/3- गोठी पत्नी)

2- फूला पुत्र बिरदा जाति जाट निवासी थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

---अपीलान्टस---

---बनाम---

1/1- नर्बदा देवी बेवा चिरंजीलाल (मृत))
1/2- मालीराम (मृत))
1/2/1- सुभाष पुत्र मालीराम)
1/2/2- सुशील पुत्र मालीराम)
1/3- लक्ष्मणकुमार पुत्र चिरंजीलाल)
1/4- सुरेशकुमार पुत्र चिरंजीलाल) जाति महाजन निवासीगण थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।
1/5- बलभद्र पुत्र चिरंजीलाल)
2- जगदीश प्रसाद पुत्र गुलझारीलाल)
~~2-जगदीश प्रसाद पुत्र गुलझारीलाल~~
3-झाबरमल पुत्र गोदराज (मृत))
3/1- ओमप्रकाश पुत्र झाबरमल)
3/2- गोरीशंकर पुत्र झाबरमल)
3/3- राजेन्द्र पुत्र झाबरमल)
3/4- संदीप पुत्र झाबरमल)
4-कृष्णकुमार पुत्र नृसिंहदास)

--रेस्पोडेन्टस--

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व ...

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 13-6-2007 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ।
--0--

उपस्थिति-

श्री रामसिंह बारेठ एडवोकेट- अपीलान्ट

निर्णय दिनांक- 10.2.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलान्टस् ने योग्य अदालत मातहत में दावा इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया आराजी पुराना ख0नं0 524 से 530 तन ग्राम थोई जिनके द्वितीय सैटलमेन्ट में खसरा नं0 2662 रकबा 5.38 हैक्टर, ख0नं0 2700 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नं0 2701 रकबा 0.01 हैक्टर, ख0नं0 2702 रकबा 3.04 हैक्टर कुल रकबा 8.45 हैक्टर ग्राम थोई की चालू जमाबन्दी खतौनी प्रतिवादी सं0-1 से 4 के नाम दर्ज है । जिस पर कब्जा हमेशा से वादीगण का है । राजस्थान टीनेन्सी एक्ट से पूर्व ही व वादीगण का पिता बिरदा पुत्र बींजा जाट का कब्जा काश्त रहा तथा वादीगण भी अपने पिता के साथ काबिज काश्त रहे । विवादित आराजी में वादीगण के पुखता मकान बने हुये हैं । तथा इस आराजी में वादीगण ने चाह बनाकर उक्त आराजी की सिंचाई करते आ रहे हैं ।प्रतिवादीगण ने इस आराजी को कभी भी काश्त नहीं किया है ।इस आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त होने से वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है ।प्रतिवादीगण व इनके बुर्जग सैटलमेन्ट के अमीनान से सम्पर्क में रहते थे जिन्होने विवादित आराजी की खातेदारी गलत रूप से अपने नाम दर्ज करवा ली, जो कतई गलत है । प्रतिवादीगण की नियत आराजी की बढती कीमतों के कारण खराब हो गई जिससे वादीगण के कब्जा काश्त में पिछले एक माह से मजाहमत कर रहे हैं जिस पर यह दावा किया जाना आवश्यक हुआ तथा अदालत मातहत

में दावा किया जिसे अदालत मातहत ने बाद सुनवाई खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । विवादित आराजी की खातेदारी रेस्पोडेन्ट के नाम गलत रूप से दर्ज हुई है । विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व से ही अपीलान्ट के पिता बिरदा पुत्र बींजा के ~~खाता~~ कब्जा काश्त में रही है तथा अपीलान्ट भी अपने पिता के समय से ही इस आराजी पर काबिज चले आ रहे है तथाइस आराजी पर पुखता मकान बनाकर आबद है तथा इस आराजी में चाह बना रखा है जिससे इस आराजी की सिचाई करते आ रहे हैं । विवादित आराजी पर अपीलान्ट के पिता के नाम खसरा गिरदावरिया बनी हुई है जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट का पूर्वजों के समय से कब्जा रहा है । अदालत मातहत ने दस्तावेजी साक्ष्य का कोई अवलोकन नहीं किया । दावा पेश होने पर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट ने उपस्थित होकर राजीनामा कर लिया तथा जरिये राजीनामा इस आराजी पर कब्जा अपीलान्ट का स्वीकार कर गलत रेकार्ड से अपना नाम दर्ज होना बताते हुये ।अपीलान्ट/वादीगण का दावा स्वीकार कर डिक्री किये जाने का राजीनामा पेश किया । जिस पर योग्य अदालत मातहत ने कोई गौर न कर आदेश पारित किया है जबकि कानूनन जब राजीनामा तस्दीक किया जाता है तो उस राजीनामा के बाद गुणावगुण पर राय अंकित नही की जाती है । अदालत मातहत ने अपने निर्णय मे स्टाम्पस् बचाने के लिये राजीनामा किया जाना मानकर आदेश पारित किया है जो विधि के विपरित है । राजस्व रेकार्ड एवं मौका कमिश्नर एवं राजीनामा से वादी का दावा साबित होते हुये भी मात्र कयासों के आधार पर दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर दावा डिक्री किया जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील दर्ज रजिस्टर किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई ।बहस विद्वान अभिभाषक सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस मे अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा अपने पूर्वजों के समय से ही रहा है। जिसकी ताईद में खसरा गिरदावरी एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट एवं लगान की रसीदे महत्त्वपूर्ण साक्ष्य है । अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर कोई गौर न कर मात्र कयासों के आधार पर अपना निर्णय दिया है जबकि रेस्पोंडेन्ट ने न्यायालय में हाजिर होकर राजीनामा किया है राजीनामा अदालत मातहत ने तस्दीक किया है । इसके बाद अदालत मातहत को आदेश-23 नियम-3 सीपीसी के अनुसार डिक्री किया जाना चाहिये था किन्तु योग्य अदालत मातहत ने केवल कयासों के आधार पर स्टाम्पस् ड्यूटी की चौरी बताते हुये दावा खारिज किया है जो कानून के विपरित है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर दावा डिक्री किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।रेस्पो० बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहें । खसरा गिरदावरी सं०-2009 से 2012 में उक्त आराजी की खातेदारी गुलझारीलाल पुत्र गोदाराम के नाम तथा काश्त बिरदा पुत्र बिजा तथा सम्वत 2030 से 2032 में काश्त तेजा,फूला पुत्र बींजा के नाम दर्ज है । जमाबन्दी सं० 2046 से 2049 में ख०नं० 2625,2626,2635,2662, 2700,2701, 2702,2709 कुल किता-8 रकबा 10.22 हैक्टर की खातेदारी चिंरजीलाल,जगदीश प्रसाद पि० गुलझारीलाल 1/3 झाबरमल पुत्र गोदराज 1/3 कृष्णाकुमार पि० नृसिंह दास 1/3 के नाम दर्ज है । प्रदर्श-5 खसरा गिरदावरी में भी अपीलान्ट के पिता बिरदा का कब्जा बदस्तूर दर्ज है । प्रदर्श-34 से 48 मौके के छाया चित्र(फोटो) प्रदर्श-49 व 50 बिजली विभाग की रसीद एवं बिजली बिल जो अपीलान्ट के नाम दर्ज है । प्रदर्श-26 से 30 लगान की रसीदे अपीलान्ट के नाम दर्ज है । प्रदर्श-33 खसरा गिरदावरी सं०-2013, 2014 में काश्त अपीलान्ट के पिता बिरदा के नाम दर्ज है ।प्रदर्श-6 से 24 लगान की रसीदे अपीलान्ट के नाम दर्ज हैं प्रदर्श-52 से

2055 में काश्त अपीलान्ट के पिता के नाम दर्ज है । मुख्त्यारनामा में प्रतिवादी 1/1 से 1/4 का प्रतिवादी संख्या-3 का है । राजीनामा दिनांक 22-5-2007 में आराजी ख0नं0 2662,2700,2701,2702 कुल किता-4 रकबा 8.45 हैक्टर जिसके पुराने ख0नं0 524 से 530 को वादीगण अपने बुर्जगान के समय से काबिज काश्त करते आ रहे हैं ।हमने कभी भी उक्त आराजी की काश्त नहीं की है ।उक्त भूमि पर हमारा नामा हटाया जाकर इनका नाम दर्ज किया जाता है तो हमे कोई ऐतराज नही है । इस राजीनामा को अदालत मातहत में पक्षकारो की पहचान के बाद तस्दीक किया गया है । जब अदालत मातहत ने राजीनामा तस्दीक किया है तो कानूनन आदेश-23 नियम-3 सीपीसी के अनुसार उसे डिक्री किया जाना चाहिये । किन्तु अदालत मातहत ने केवल मात्र कयासों के आधार पर स्टाम्पस की ड्यूटी की चोरी मानकर दावा खारिज किया है। जबकि विवादित आराजी पर खसरा गिरदावरी,लगान रसीदात से विवादित आराजी पर सम्वत 2009 से अपीलान्ट के पिता का कब्जा काश्त रहा है ।जिसे प्रतिवादीगण ने जरिये राजीनामा स्वीकार किया है ।जब प्रतिवादीगण ने वादी के दावे का कोई विरोध न कर कोई खण्डन नहीं कियाहै तो अपीलान्ट/वादी का दावा डिक्री किया जाना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने इन सभी तथ्यों पर एवं राजस्व रेकार्ड पर अनदेखी कर मात्र कयासों के आधार पर दावा खारिज किया है जिसको हम यथावत रखा जाना उचित नहीं मानते हैं । बल्कि हम राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना के अनुसार जहां पर पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो जाता है उसे मुताबिक आदेश-23 नियम-3 सीपीसी के अनुसार दावा डिक्री किया जाना ही उचित मानते हैं।जिससे राष्ट्रीय लोक अदालत की भावनाओं के अनुसार भी पक्षकारों के प्रकरणों का निस्तारण हो सके ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13-6-2007 को खारिज किया जाता है तथा आराजी ख0नं0(नये) 2662,2700,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
प्रदेश राजस्व अपील अधिकारी

2701, 2702 कुल किता-4 रकबा 8.45 हैक्टर तन ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपु-र का वादीगण/अपीलान्टस् को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। जिसमें अपीलान्ट तेजा का देहान्त होने पर उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा मृतक तेजा के वारिस(अपीलान्ट सं0-1/1 से 1/3) को तथा उक्त आराजी का शेष 1/2 हिस्से का अपीलान्ट सख्यां-2 फूलाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से नाम हजफ किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार अमलदरामद किया जावें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 10.2.2018 को सुनाया गया।

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

डिक्री वर्सिंग अपील

(आर्डर 41 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत - भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर।

इजलास - श्री भंवरलाल मेहरड़ा RAS

1- तेजा S/o बिरदा जाति जाट निवासी थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर -(मृतक) आदि

- अपीलांटस -

— बनाम -

1.-नर्बदा देवी बेवा चिरंजीलाल (मृतक) जाति महाजन निवासी थोई जिला सीकर आदि

- रेस्पोंडेन्टस

- नोट उनवान संलग्न है।

अपील नम्बर 130 सन् 2007 बनाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

मुकाम - दिनांक 13 माह 6 सन् 2007

-दावा बाबत -

यह अपील व तारीख 10-2-2018 हब्स हमारे व हाजिर श्री रामसिंह बारेठ

मिनजानिब अपीलान्टस् व हाजिर श्री —

मिनजानिब रेस्पोडेन्टस् समाहत के लिये हुक्म हुआ कि अपील स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर का निर्णय ~~का~~ एवं डिक्री दि० 13-6-2007 खारिज किया जाता है आराजी नम्बे खसरा नं० 2662, 2700, 2701, 2702 कुल किता - 4 रकबा 8.45 हैक्टर तन ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर का वादीगण/अपीलांट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। जिसमें अपीलांट तेजा का देहान्त होने पर उक्त आराजी में ½ हिस्सा मृतक तेजा के वारिस (अपीलांट सं. 01 से 13) को तथा उक्त आराजी में शेष हिस्सा ½ का ×× ×

खर्चा फरीकैन हस्व तकसीत वादाबी युबलिग ××× रुपये अदा करें।

खर्चा मुकदमा मातहत का × × रुपया अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारिख 10-2-2018 को जारी की गई।

दस्तखत - [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं

ओहदा - पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपीलार्थीगण	रूपये पैसे	गैर अपीलार्थीगण	रूपये पैसे
1- स्टाम्प अपील		1- स्टाम्प वकालतनामा	
2- स्टाम्प वकालतनामा		2- स्टाम्प अर्जी	
3- इजराय हुक्मनामा		3- इजराय हुक्मनामा	
4- तलबाना मुतफुरकात		4- मुतफुरकात	
5- मिजान		5- मिजान	